अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या–51/2012

धारा–6 (A) ई0सी0 एक्ट अन्तर्गत

राज्य द्वारा परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, भवानीपुर

..... आवेदक

बनाम

उपेन्द्र साह, पिता–स्व0 ज्ञानदेव साह साकिन+थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ।

.....विपक्षी

आ दे श

यह वाद परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, भवानीपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विपक्षी के विरूद्व प्रारम्भ की गयी है। भवानीपुर थाना कांड सख्या–20/2011 के अनुसार विपक्षी के गोदाम पर दिनांक 21.02.2011 को की गयी छापामारी में विभिन्न किस्मों के कुल 128 बोरा उर्वरक जप्त की गयी। विपक्षी द्वारा विना अनुज्ञप्ति के उर्वरक की बिक्री की जाती थी। इफको कम्पनी का उर्वरक जो सरकारी पैक्स के माध्यम से बिक्री की जाती हैं, वह भी विपक्षी के गोदाम में पाया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ ने अपने पत्रांक 1507, दिनांक 24.1.2011 द्वारा जप्त उर्वरक को राज्सात करने का प्रस्ताव दिये है।

विपक्षी का कथन है कि उनके भाई सहित लगभग 30–35 एकड़ की खेती उनके द्वारा की जाती है। कृषि के मौसम में उर्वरक उपलब्ध नहीं रहने के कारण उपरोक्त जप्त उर्वरक अपने खेती के लिये रखा गया था। विपक्षी का धर फूंस का है, इसलिये सुरक्षित रखने के लिये बगल के मकान में किराया देकर रखा था। अनुसंधान के क्रम में भी एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे यह प्रमाणित हो कि उसके द्वारा खाद बेची जाती थी। आवेदक एक किसान है और खेती करने के लिये बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाया है। अतः

A

सूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि जप्त उर्वरक को राज्यसात की कार्रवाई से मुक्त की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 18.05.2012 का उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि विपक्षी के द्वारा अवैध ढंग से खाद बेचने का कारोबार किया जाता थां। प्राप्त सूचना के आलोक में 128 बोरा उर्वरक जप्त किया गया। विपक्षी अपने को कृषक कहते हुए 128 बोरा एक साथि रखने का कोई औचित्य नहीं बताया जा रहा है। यह आरोप इसलिये भी प्रमाणित होता है कि विपक्षी के द्वारा गोदाम भाड़े पर लेकर इन खाद बोरा को रखा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अवैध ढंग से खाद रखकर कालाबाजारी किया जा रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने पक्ष में कोई भी ठोस जबाब नहीं दिया गया। उपरोक्त तथ्यों अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के वाद स्पष्ट होता है कि विपक्षी खाद की कालाबाजारी किया जा रहा था, इस कारण से जप्त किये गये 128 बोरा खाद को राज्यसात करने की स्वीकृति दी जाती है। जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि जप्त उर्वरक को बिक्री करवाकर बिक्री राशि चलान द्वारा कोषागार में जमा करते हुए चलना की प्रति के साथ सूचित करे। इस आदेश के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ